Tel no. 26588980, 26588707, 26589336
Fax : 011-26588662, 26589791

तार / GRAM : विज्ञानी / SCIENTIFIC
Web-site : www.icmr.nic.in
E-mail : icmrhqds@sansad.nic.in

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
वी. रामलिंगस्वामी भवन, अन्सारी नगर, पोस्ट बॉक्स 4911, नई दिल्ली - 110 029
V. RAMALINGASWAMI BHAWAN. ANSARI NAGAR. POST BOX 4911. NEW DELHI - 110 029

No.16/59/2009-Admn.II Dated : 31.05.2011

To

The Directors/Directors-in-Charge
of all permanent Institutes/Centres of
ICMR.

Sub : Model Recruitment Rules for the post U.D.C. – Regarding.

Sir/Madam,

I am directed to send herewith letter No.A.B.-14017/32/2009-(Establishment (R.R.) dated 29th December, 2010 on the subject mentioned above received from Ministry of Personnel & Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training, New Delhi for information and necessary action.

Yours faithfully,

(SARDAR SINGH)
Admn. Officer
For Director-General

सं-एबी-14017/32/2009 -(स्थापना(आर.आर)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली

* * *

दिनांक २१ दिसंबर '20

कार्यालय-ज्ञापन

विषय :- उच्च श्रणी लिपिक के पद के लिये मॉडल भर्ती नियम ।

इस विभाग के दिनांक 18 दिसम्बर के कार्यालय ज्ञापन सं एबी-14017/11/07-स्थापना(आर.आर) में उच्च क्षेणी लिपिक के पद के लिए जारी किए गए मॉडल भर्ती नियमों के वेतनमानों के संशोधन पर छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों तथा विभाग द्वारा जारी अनुदेशों आदि के आलोक में समीक्षा की गई है । तदनुसार, इस पद के लिए संशोधित मॉडल भर्ती नियमों को इस कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध के रुप में संलग्न किया जाता है।

2. मंत्रालय/विभाग वर्तमान नियमों की समीक्षा करें तथा संशोधित नियमों को मॉडल भर्ती नियमों के सामंजस्य में अधिसूचित करें । इन्हें सभी स्वायत्त/सांविधिक निकायों को अपनाए जाने के लिए अग्रसारित किया जाए । गृह मंत्रालय से भी अनुरोध है कि वह इस मॉडल, नियमों को संघ शासित क्षेत्रों के लिए अग्रेषित कर दें ।

स्मिता कुमार

(स्मिता कुमार)

निदेशक (स्थापना)

दूरभाष सं. 23092479

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. राष्टपति सचिवालय, नई दिल्ली
3. उपराष्टपति सचिवालय, नई दिल्ली
4. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
5. मंत्रिमण्ल सचिवालय, नई दिल्ली
6. भारत के नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
7. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
8. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली

कार्यालय ज्ञापन-एबी-14017/32/2009-स्थापना(आर.आर)   दिनांक 21 दिसंबर, 2010

प्रतिलिपि प्रेषित -

1. राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली
2. लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली
3. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन सभी सम्बद्ध
4. स्थापना अधिकारी एवं एसीसी (10 प्रतियां)
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी एवं अनुभाग
6. सचिव, कर्मचारी पक्ष, नेशनल कौंसिल (जेसीएम) 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
7. नेशनल कौंसिल (जेसीएम) के सभी सदस्य
8. विभागीय कौंसिल (जेसीएम), कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय के सभी स्टाफ सदस्य
9. स्थापना (आर.आर. डिवीजन) (29 प्रतियाँ)

स्मिता कुमार

(स्मिता कुमार)

निदेशक (स्थापना)

दूरभाष सं. 23092479

उच्च श्रेणी लिपिक के पद के लिए मॉडल भर्ती नियम

1.	पद का नाम	उच्च श्रेणी लिपिक
2.	पद की संख्या	* (फ्रेमिंग का वर्ष) (कार्याधिक्य पर निर्भर भिन्नता के अध्यधीन)
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, लिपिकवर्गीय
4.	वेतन बैंड एव ग्रेड वेतन	वेतन बैंड-1 रुपये 5200-20200 ग्रेड वेतन – रुपये 2400/-
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	गैर चयन- यदि पदोन्नति भर्ती के तरीकों में से एक तरीका पदोन्नति है लागू नहीं यदि पदोन्नति भर्ती के तरीको मे से एक तरीका नहीं है।
6.	क्या केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमवली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत सेवा में जोड़े गए वर्षो का लाभ स्वीकार्य है ।	नहीं
7	सीधे भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा	18 से 25 वर्ष आयु के बीच (सरकारी सेवकों के लिए केन्दीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 40 वर्ष तक शिथिलनीय) नोट : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धिरित की जायगी (जहां पर भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं का जाएगी, आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी)

8	सीधे भर्ती होने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविघालय से डिग्री या समतुल्य
9	क्या सीधे भर्ती होने वालों के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति पाने वाले के मामलों में भी लागू होगी	लागू नहीं ।
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधे भर्ती होने वालों के लिए दो वर्ष । पदोन्नत होने वालों के लिए शून्य नोट 1 : पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 या उस तिथि जबसे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचे को लागू किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित लागू किए गए तदनुरूपी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा । प्रतिनियुक्ति केन्द्र सरकार के ऐसे अधिकारी हैं जो (iii) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों या (iv) अवर श्रेणी लिपिक या समकक्ष ग्रेड में 8 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों । फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार करने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त होने वाले कार्मिक पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या किसी विभाग में इस

		नियुक्ति के ठीक पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतया तथा 3 वर्षों से नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । नोट :- प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2006 (वह तिथि, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया है) से पूर्व की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए तदनुरूपी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा सिवाय उसके जहां एक से अधिक संशोधन पूर्व वेतनमानों को एक समान ग्रेड वेतन/वेतनमान में मिला दिया गया हो तथा जहां यह लाभ उसी पद/ पदों के लिए होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य पदस्थापन ग्रेड हो ।
13	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पूर्ण गठन इंगित किया जाए) यदि पदोन्नति भर्ती का तरीका नही है तो कालम को लागू नहीं के रुप में भरा जाए
14	परिस्थिति जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	लागू नहीं ।